न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 76/2017

1. मेजरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन 7 केएलडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।

...प्रार्थी

बनाम

1. सतनामसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक 17 पीएस तहः रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. हरदयालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक 17 पी.एस. तहः रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. उपपंजीयक खाजूवाला
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 13.12.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी के पिता के नाम चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 की कुल तादादी 10.19 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारीशुदा है। पिता के फौत बाद इ.स. 255 से विरासतन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई और माता के फौत के पश्चात दिनांक 17.8.16 को तीनो भाईओ में परिवार की सहमति से रूबरू गवाहान पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे में गांव की भूमि व वादगत भूमि का बंटवारा लिखित में हो गया जिसमें प्रार्थी को वादगत रकबा देकर कब्जा दे दिया था। जिसपर प्रार्थी तब से लेकर आज तक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि खेती लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है एवं समस्त भूमि प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में है। समय–समय पर समस्त लगान खजानाराज में जमा करवाता रहा हैं। इसप्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी सं0 1 ता 2 ने कहा कि हम साथ चलकर हक त्यागकर देगें या आप चाहो तो बैयनामा करवा लेना। दिनांक 2.10.2017 को अप्रार्थी सं0 2 व 5–7 अन्य व्यक्ति मौके पर आये और प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम है और उसे मैं आगे बेचान कर रहा हूँ। तुम तुरन्त रकबा खाली कर देना अन्यथा हम जबरन बेदखल कर देंगे। यदि वे कामयाब हो जाते है प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसे रोकने का एकमात्र उपाय अस्थाई निषेधाज्ञा ही है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे की प्रार्थी की कब्जेकाश्त शुदा खातेदारी भूमि वाके चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 की कुल तादादी 10.19 बीघा कमाण्ड भूमि में दौराने वाद दखलअन्दाजी नहीं करें और नाही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करें या करावें जिससे प्रार्थी के हक–हकूकों, कब्जा काश्त पर बेजा असर पड़े।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी होने पर अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 15.11.17 जरिये अधिवक्ता श्री गणपत बिश्नोई जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के कथनों को स्वीकार करते हुवे प्रार्थी के पक्ष में सहमति प्रदान की। अप्रार्थी सं0 2 दिनांक 04.11.22 जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके अनुसार चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 की कुल तादादी 10.19 बीघा भूमि खातेदारी है व पिता की मृत्युपरान्त इं0नं0 255 से हकारे विरासतन दर्ज हो गई स्वीकार है शेष कथन गलत बयानी व मनगढ़त होने से अस्वीकार है तथा विरासतन आई भूमि पर हम तीनों वारिसान अपनी–अपनी मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है जिसमें अप्रार्थी सं0 2 के कब्जा काश्त में किला नं0 11 सालम, किला नं0 12 में 0.1904 है, किला नं0 19 में 0.1088 है, किलानं0 20 में 0.2403 है0, किला नं0 21 में 0.0885 व किला नं0 22 में 0.0423 इसप्रकार कुल 0.9232 है0 बीघा भूमि पर 21.8.2017 से काबिज है। हमाारी पुश्तैनी भूमि गांव 17 पीएस के मु0नं0 42, 51, 69 में दर्ज भूमि पर सभी तीनों भाईयों का अपने अपने नाम की भूमि पर कब्जा काश्त है। मेरे नाम के अतिरिक्त किसी भी भूमि पर मेरा कब्जा काश्त नहीं है। जवाब प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है की अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि चक 7 केएलडी की 10.19 बीघा के मेरे कब्जा की 1/3 हिस्सा की भूमि पर चल रहा स्थगन आदेश निरस्त कर प्रार्थनापत्र खारिज करने का आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे एवं मूलदावा के फैसले तक रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति के आदेश फरमावे। प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादी को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्सा पांति में घरेलु बंटवारा अनुसार है। अप्रार्थी ने यदि उक्त भूमि बेच दी प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्सा में है। अप्रार्थी सं0 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र मनगढ़त व काल्पनिक है। उक्त भूमि हमारी पुश्तैनी विरासतन आई है और हम उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सहिस्सेदार खातेदार है और प्रार्थी ने पुराना घरेलु बंटवारा पेश किया है जबकि इसके बाद 27.7.2017 नोटेरी स्टाम्प पर घरू बंटवारा हुआ है जिससे प्रार्थी मुकर गया व उक्त बंटवारा को प्रार्थी ने पेश नहीं किया है और झूठे मनगढ़त तथ्यों व पुराना बंटवारा दिखाकर जिसका कोई वजूद नहीं है, के आधार पर एक रिकॉर्डेड खातेदार को परेशान करने की नीयत से बहुत लम्बे समय तक स्थगन लेकर बैठा है तो कतई उचित नहीं है और प्रार्थी ने इतने लम्बे समय स्थगन लेकर आज तक यह साबित करने में असफल है कि उसको स्थगन नहीं होने पर क्या नुकसान है जबकि मुझ काश्तकार को स्थगन से सरकारी योजनाओं में फायदा लेने के लिये बहुत नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 खातेदारी भूमि में प्रार्थी मेजरसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया स्थगन आदेश दिनांक 15.11.2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)